बिहार सारकार

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०– निग/सारा–मुक०–35/2011 1493(S) पटना, दिनांक– 17/12/26

श्री अजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ याँत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति मुख्य अभियंता (यांत्रिक) के मुजफ्फरपुर पदस्थापन अवधि में उनके विरूद्ध श्री सुभाष कुमार दास, समयपाल, राष्ट्रीय उच्च पथ याँत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की पत्नी श्रीमती जय श्री सोम द्वारा दिनांक–31.08.2009 को समर्पित परिवाद पत्र में निम्नांकित दो आरोप लगाये गये थे:–

(i) सितम्बर–2009 के प्रथम सप्ताह में प्रसव की संभावना के आलोक में श्री दास द्वारा मांगे गये पितृत्व अवकाश को अस्वीकृत करना।

(ii) श्री दास जो तृतीय वर्ग के कर्मी है, को दिनांक–03.12.2008 से रात्रि प्रहरी (चतुर्थ वर्ग) के पद पर प्रतिनियुक्त करना, दिनांक–07.07.2009 से वैरिया हॉट मिक्स प्लान्ट, एम०आई०टी०, मुजफ्फरपुर पर रात्रि प्रहरी के रूप में प्रतिनियुक्त करना तथा दिनांक–29.08.2009 से दानापुर–खगौल पथ स्थित हॉट मिक्स प्लान्ट पर रात्रि प्रहरी के पद पर प्रतिनियुक्त करना।

2. विषय वस्तु की गंभीरता को देखते हुए श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता से विभागीय पत्रांक–11410(एस) दिनांक–13.10.2009 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पत्रांक–390 दिनांक–19.10.2009 के समीक्षोपरांत एवं पूरे प्रकरण पर विचारोपरांत पाया गया कि श्री दास की प्रतिनियुक्ति मूल पदस्थापन मुजफ्फरपुर प्रमंडल के अंतर्गत ही किसी कार्यालय/स्थल पर की जा सकती थी न कि दूसरे प्रमंडल अंतर्गत। पितृत्व अवकाश की अस्वीकृति के मामले में भी पाया गया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक–2441 दिनांक–18.08.2009 की अंतिम पंक्ति में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि अत्यन्त आवश्यकता की स्थिति में कोई पदाधिकारी/कर्मचारी जिला पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश में जा सकता है। श्री सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा सहायक अभियंता को संबोधित उनके पत्रांक–348 दिनांक–01.09.2009 द्वारा चुनाव आचार संहिता समाप्त होने तक उक्त अवकाश नहीं दिये जाने की सूचना दी गयी। अतएव आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित पाते हुए विभाग द्वारा श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता को "निन्दन" जो अगले तीन वर्षों तक लागू रहेगा तथा इनकी दो वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का निर्णय लिया गया।

3. उपर्युक्त मामले में विभाग द्वारा लिये गये निर्णय, जिस पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त किया जाना अपेक्षित था और वह आदेश अभी निर्गत नहीं हुआ था, के विरूद्ध श्री सिंह ने सीधे माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए उन शास्तियों को निरस्त करने के लिए आवेदन दिनांक–06.04.2010 दे दिया। इस मामले में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3 एवं 22 के उल्लंघन का दोषी पाते हुए श्री सिंह से विभागीय पत्रांक–8251(एस) दिनांक–02.06.2010 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक–246 दिनांक–23.06.2010 के समीक्षोपरांत इन्हें दोषी पाते हुए विभाग द्वारा इनकी दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया।

4. उपर्युक्त दोनों प्रकरण में सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार इन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या–6316(एस)–सह–पठित ज्ञापांक–6317(एस) दिनांक–31.05.2011 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया:–

(i) "निन्दन" की सजा जो अगले तीन वर्षों तक लागू रहेगा।

(ii) चार वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

5. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-10846/2011 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा दिनांक–03.11.2025 को पारित न्यायादेश के द्वारा विभागीय दंडादेश को quashed and set aside किया कर दिया गया, जिसका कार्यशील अंश निम्नवत् हैं:–

"It was further contended by learned counsel for the petitioner that in the inquiry conducted by the Superintending Engineer, in the enquiry report dated 17.11.2009 allegations against the petitioner were found to be incorrect and false. However, the Deputy Secretary, Road Construction Department proceeded to issue a show cause notice dated 13.10.2009 asking the petitioner to file his reply within a period of 7 days and on the petitioner filing his reply proceeded to pass the order of punishment. Referring to the show cause notice it was submitted that the same does not fulfill the requirements of Rule 19(1)(a) of the Rules. This Court has perused the contents of the show cause notice dated 13.10.2009 which shows that the same does not intimate the petitioner in writing the proposed action to be taken against him as also the grounds of misconduct on which the action is proposed to be taken. In terms of Rule 19(1)(a), even in case of imposition of minor penalty, the petitioner was required to be told of the action that the disciplinary authority proposed to take against him under the Rules and the same not having been done as shown from the contents of the show cause notice dated 13.10.2009, in view of the judgment of this Court dated 22.8.2017 passed in CWJC no.5327 of 2016 (Indrajeet Kumar Arya versus State of Bihar & Ors.) the order of punishment is not sustainable and fit to be set aside.

In view of the facts and circumstances stated above, the order of punishment dated 31.05.2011 issued under the signature of the Special Secretary, Road Construction Department, Government of Bihar, Patna, is hereby quashed and set aside. The petitioner is held entitled to all consequential benefits denied to him as a result of the impugned order.

The writ application is allowed."

6. उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध आलोच्य मामले में संचालित अनुशासनिक कार्रवाई में कतिपय प्रक्रियात्मक त्रुटि रह गयी, जिसे वर्त्तमान में सुधारे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः सम्यक् समीक्षोपरांत श्री अजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ याँत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति मुख्य अभियंता (यांत्रिक) के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या–6316(एस)–सह–पठित ज्ञापांक–6137(एस) दिनांक–31.05.2011 द्वारा अधिरोपित दंड को निरस्त किया जाता है। उक्त के फलस्वरूप श्री सिंह को सभी अनुमान्य अनुवर्ती लाभ प्राप्त होंगे।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–मुक०–35/2011 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–मुक०–35/2011 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–मुक०–35/2011 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (याँ) याँत्रिक उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता (याँ) याँत्रिक अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (याँ), राष्ट्रीय उच्च पथ याँत्रिक प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर/ उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/6/13/14 एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/**श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (याँत्रिक), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–मुक०–35/2011 1494(S) पटना, दिनांक :– 17/2/16

प्रतिलिपिः– आई०टी०मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

16.02.2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Amit 16.02.16